पत्रांक–2ब०/ना०सु०–03–11/2014 111 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, नवादा।

पटना, दिनांक– 08/02/18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर परिषद्, नवादा क्षेत्रान्तर्गत बस स्टैण्ड निर्माण की योजना के लिए कुल ₹400.00 लाख (चार करोड़ रु०) मात्र की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹200.00 लाख (दो करोड़ रु०) मात्र का सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन ।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2013–14 में विभागीय राज्यादेश सं०– 81, दिनांक– 28.02.2014 एवं आवंटनादेश सं०– 107, दिनांक– 28.02.2014 द्वारा नगर परिषद्, नवादा में बस स्टैण्ड निर्माण हेतु कुल ₹31.00 लाख मात्र स्वीकृत एवं आवंटित किया गया। पुनः वित्तीय वर्ष 2014–15 में नगर परिषद्, नवादा में बस स्टैण्ड निर्माण योजना के लिए कुल ₹400.00 लाख का डी०पी०आर० विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसको विभागीय राज्यादेश सं०– 68, दिनांक– 19.11.2014 द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए आवंटनादेश सं०– 78, दिनांक– 19.11.2014 द्वारा ₹200.00 लाख मात्र आवंटित किया गया। अर्थात् उक्त योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में कुल ₹231.00 लाख (दो करोड़ एकतीस लाख रु०) मात्र आवंटित किया गया।

2. नगर परिषद्, नवादा में बस स्टैण्ड निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, नवादा द्वारा उक्त आवंटित राशि ₹231.00 लाख (दो करोड़ एकतीस लाख रु०) मात्र कोषागार में जमा कर दिया गया, जिसका समायोजन विभागीय पत्रांक– 2737, दिनांक– 22.04.2016 द्वारा महालेखाकार, बिहार से कराया जा चुका है।

3. पुनः कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, नवादा के पत्रांक– 3133, दिनांक– 30.11.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद्, नवादा में बस स्टैण्ड निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध हो गया है। साथ ही उक्त योजना के लिए पुनः राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

4. उक्त अनुरोध एवं विभागीय राज्यादेश सं०–110........ दिनांक–08/02/18.......... के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर परिषद्, नवादा क्षेत्रान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित योजना को स्तम्भ– 4 में अंकित राशि के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु

तत्काल स्तम्भ– 5 में अंकित कुल ₹200.00 लाख (दो करोड़ रु०) मात्र नागरिक सुविधा मद से निम्नवत् आवंटित की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि (4–5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3	नगर परिषद नवादा	नगर परिषद्, नवादा क्षेत्रान्तर्गत बस स्टैण्ड का निर्माण।	400.00	200.00	200.00

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹200.00 लाख (दो करोड़ रु०) मात्र।

5. उक्त आवंटित योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा किया जायेगा।

6. उक्त आवंटित ₹200.00 लाख (दो करोड़ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद्, नवादा होगें**, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.1998 एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जाएगी। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, नवादा द्वारा राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम बुडको को हस्तांतरित कर दिया जायेगा। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में ही किया जायेगा।**

7. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एंव तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

8. उक्त आवंटित राशि ₹200.00 लाख (दो करोड़ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 192–नगर पालिकाओं–नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष– 0105–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें–सहायक अनुदान विपत्र कोड– **48-2217031920105,** विषय शीर्ष– 0105.31.05 सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

9. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:–

(i) योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जाएगा।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण –लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iv) **योजना का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

10. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

11. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

12. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

13. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6.2.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०सु०–03–11/2014 111 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–08/02/18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.2.18

सरकार के विशेष सचिव।

E-Mail
Speed post

पत्रांक–2ब०/ना०सु०–03–11/2014 110 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 08/02/18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर परिषद्, नवादा क्षेत्रान्तर्गत बस स्टैण्ड निर्माण की योजना के लिए कुल ₹400.00 लाख (चार करोड़ रु०) मात्र की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹200.00 लाख (दो करोड़ रु०) मात्र की सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2013–14 में विभागीय राज्यादेश सं०– 81, दिनांक– 28.02.2014 एवं आवंटनादेश सं०– 107, दिनांक– 28.02.2014 द्वारा नगर परिषद्, नवादा में बस स्टैण्ड निर्माण हेतु कुल ₹31.00 लाख मात्र स्वीकृत एवं आवंटित किया गया। पुनः वित्तीय वर्ष 2014–15 में नगर परिषद्, नवादा में बस स्टैण्ड निर्माण योजना के लिए कुल ₹400.00 लाख का डी०पी०आर० विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसको विभागीय राज्यादेश सं०– 68, दिनांक– 19.11.2014 द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए आवंटनादेश सं०– 78, दिनांक– 19.11.2014 द्वारा ₹200.00 लाख मात्र आवंटित किया गया। अर्थात् उक्त योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में कुल ₹231.00 लाख (दो करोड़ एकतीस लाख रु०) मात्र आवंटित किया गया।

2. नगर परिषद्, नवादा में बस स्टैण्ड निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, नवादा द्वारा उक्त आवंटित राशि ₹231.00 लाख (दो करोड़ एकतीस लाख रु०) मात्र कोषागार में जमा कर दिया गया, जिसका समायोजन विभागीय पत्रांक– 2737, दिनांक– 22.04.2016 द्वारा महालेखाकार, बिहार से कराया जा चुका है।

3. पुनः कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, नवादा के पत्रांक– 3133, दिनांक– 30.11.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद्, नवादा में बस स्टैण्ड निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध हो गया है। साथ ही उक्त योजना के लिए पुनः राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

4. उक्त अनुरोध के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर परिषद्, नवादा क्षेत्रान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित योजना को स्तम्भ– 4 में अंकित राशि के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति

प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल स्तम्भ– 5 में अंकित कुल ₹200.00 लाख (दो करोड़ रु०) मात्र की स्वीकृति नागरिक सुविधा मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4–5)
1	2	3	4	5	6
3	नगर परिषद नवादा	नगर परिषद्, नवादा क्षेत्रान्तर्गत बस स्टैण्ड का निर्माण।	400.00	200.00	200.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹200.00 लाख (दो करोड़ रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत ₹200.00 लाख (दो करोड़ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद्, नवादा होगें,** जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.1998 एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जाएगी। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, नवादा द्वारा राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम बुडको को हस्तांतरित कर दिया जायेगा। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में ही किया जायेगा।**

7. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एंव तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

8. उक्त स्वीकृत राशि ₹200.00 लाख (दो करोड़ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 192–नगर पालिकाओं–नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष– 0105–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें–सहायक अनुदान विपत्र कोड– **48-2217031920105,** विषय शीर्ष– 0105.31.05 सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

9. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:–

(i) योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जाएगा।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण –लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iv) **योजना का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

10. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

11. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

12. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

13. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/ना०सु०–03–11/2014 के पृष्ठ सं०– 125........./टि० पर दिनांक– 25.1.18........ को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 125.........../टि० पर दिनांक– 29.1.18......... को प्राप्त है ।

14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, नवादा एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6.2.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०सु०–03–11/2014 110 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 08/02/18

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, नवादा/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.2.18

सरकार के विशेष सचिव।